261

संख्या–1116 /xxiv–4/2011–10(4)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

विषय–अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गये ऐसे पी0टी0ए0 शिक्षकों को जो निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हो को मानदेय का भुगतान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 एवं दिनांक 15–12–2011 का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1102/xxiv–4/ 2011–10 (4)/ 2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या–1107/xxiv–4/2011–10 (4)/ 2010, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या–06(04)/पी0टी0ए0/56208/ 2011–12, दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 द्वारा उपलब्ध करायी गयी 590 पी0टी0ए0 शिक्षकों की सूची में से केवल ऐसे अर्ह पी0टी0ए0 शिक्षक जो प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत हों, और जो उक्त माध्यमिक विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन द्वारा नियमानुसार रखे गये हों, को ₹ 7,000/– (रूपये सात हजार मात्र) प्रतिमाह का मानदेय अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्तानुसार शासनादेश संख्या–1102/xxiv–4/2011–10(4)/2010, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या–1107/xxiv–4/2011–10(4)/ 2010, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 की अन्य सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0स0–336(P)/XXVII(3)/2011–12, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
/
(ओम प्रकाश)
सचिव।

....2

H.S.

संख्या–1116 (1)/xxiv–4/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त, जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, देहरादून।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

H.S.